दिनांक 30.04.2019

स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

एन.जी.टी. के समक्ष भिलाई निगम ने दिया प्रस्तुतीकरण

भिलाईनगर/ माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रमुख पीठ नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. क्रमांक 606/2018 में दिनांक 16 जनवरी 2019 को पारित आदेश के परिपालन में गठित राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की तृतीय बैठक माननीय न्यायमूर्ति श्री धीरेंद्र मिश्रा , पूर्व न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में न्यू सर्किट हाउस सिविल लाइन रायपुर में दिनांक 25 अप्रैल 2019 को आयोजित की गई जिसमें विभिन्न नगर निगमों में से केवल आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा एन.जी.टी. के विभिन्न मापदंडों को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया गया जिसकी सराहना उपस्थित अधिकारियों ने की और कहा की कभी भी निरीक्षण किया जा सकता हैं!

नगर पालिक निगम, भिलाई के आयुक्त एस0के0 सुंदरानी ने एन.जी.टी के बैठक के संबंध में प्राप्त निर्देश के पालन के लिए सभी जोन आयुक्तों , जोन के स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देशित किया है कि 100 प्रतिशत घरों से डोर टू डोर कचरे का संग्रहण कर श्रोत पर ही गीले एवं सुखे कचरे में पृथकीकरण किया जाना , एसएलआरएम सेंटर का संचालन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुरुप किया जाना , प्रभार क्षेत्रान्तर्गत निर्मित एसएलआरएम सेंटर का निर्माण 03 मई 2019 तक पूर्ण कर संचालित करना , 5 टन से अधिक क्षमता के समस्त एसएलआरएम सेंटर , कम्पोस्ट पिट, बायोगैस प्लांट के चारो ओर 30 मीटर क्षेत्र को सक्षम प्राधिकारी से बफर जोन चिन्हांकित कर ग्रीन बेल्ट का निर्माण 31 अगस्त 2019 के पूर्व किया जाना, प्रभार क्षेत्रान्तर्गत प्लास्टिक बेलिंग मशीन का स्थापना एवं क्रियान्वयन किया जाना, समस्त औद्योगिक इकाईयों के क्षेत्रान्तर्गत कुल क्षेत्रफल का 5 प्रतिशत भूमि को रिक्त कराकर मटेरियल रिकव्हरी एवं रिसाईकलिंग सेंटर बनाये जाने हेतु सीएसआईडीसी के माध्यम से आदेशित किया जाना तथा उक्त सेंटर का निर्माण 31 अक्टूबर 2019 के पूर्व किया जाना होगा, जामूल एवं नेवई ट्रेचिंग ग्राउण्ड स्थित कचरे का 100 प्रतिशत निपटान 30 मई 2019 तक किया जाना, वार्ड में स्थित जी. व्ही. पाईंट को विलोपित कर सतत् निगरानी किया जाना है , शहर में प्लास्टिक कैरीबैग , शैशे-पाउच तथा डिस्पोजल का भण्डारण करने वालों पर कार्यवाही कर जुमार्ना लगाया जाना है, प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग सड़क निर्माण हेतु आईआरसी गाईड लाईन के अनुसार किया जाना है, प्रभार क्षेत्रान्तर्गत सभी वार्डों को बिन फ्री किया जाना है, इस हेतु 100 लीटर से अधिक सभी बड़े कन्टेनरो को हटाया जाना , प्रभार क्षेत्रान्तर्गत स्थित नाली एवं नालों में जाली लगाया जाना तथा लगाये गये जालियों को प्रति सप्ताह सफाई कर पुनः स्थापित किया जाना है, नदी, नालों, तालाबों, सड़कों, चौराहों की नियमित सफाई सुनिश्चित करें, खुले में गंदगी करने वालों पर दाण्डिक कार्यवाही करना, निर्माण एवं विध्वंश अपशिष्ट का संग्रहण कर सी. एण्ड डी. वेस्ट प्रोसेसिंग सेंन्टर में परिवहन किया जाना तथा ईंट , पत्थर, क्रांकिट, लकड़ी, प्लास्टिक, धातु में

पृथक कर गमला, प्री कास्ट स्लैब आदि बनाने में उपयोग में लाया जाना , बल्क वेस्ट जनरेटरों को आॅन साईट कम्पोस्टिंग हेतु पत्र जारी कर किचन कम्पोस्ट ड्रम अथवा अन्य उपयुक्त संसाधन द्वारा कम्पोस्टिंग कराया जाना सुनिश्चित करें , होम कम्पोस्टिंग कराया जाना सुनिश्चित करें , होम कम्पोस्टिंग हेतु समस्त घरों को प्रेरित किया जाना , प्रभार क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त क्लीनिक , डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम तथा हास्पिटल को बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के परिपालन हेतु आदेशित किया जाना है , ठोस अपशिष्ट में बायो मेडिकल अपशिष्ट पाये जाने पर तत्काल अवगत करावे, पूजा एक्सप्रेस, गोबर एक्सप्रेस, मलबा एक्सप्रेस को नियमित रुप से उपयोग में लिया जाना तथा संग्रहित उपशिष्ट का निपटान अभिनव पहल अंतर्गत विधिवत् किया जाना , प्रत्येक वार्ड में दो या दो से अधिक स्थलों पर कम्पोस्ट खरीदी केन्द्र एवं वेस्ट खरीदी केन्द्र बनाया जाना , मुक्तिधाम में वेस्ट वाटर ट्रिटमेंट हेतु नारियल बूच का उपयोग किया जाना , नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्रान्तर्गत स्थित सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट से उपचारित जल का उपयोग बागबानी अथवा सड़क, चौराहे की धुलाई हेतु उपयोग में लाये जाने हेतु आयुक्त श्री सुंदरानी ने पत्र देकर निर्देशित किया है।

जनसम्पर्क अधिकारी

''जल है तो कल है'' ''जल ही जीवन है''